संख्याः–247/XIV–1/2008

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड, अल्मोडा ।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनॉक 27 मार्च 2008

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिये पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों हेतु उर्वरक परिवहन पर राज सहायता मद में पुनर्विनियोग (राज्य सेक्टर) के अर्न्तगत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 7247/ नियो0/उर्वरक / 2007–08 दिनांक 15.03.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेल हैड से सहकारी समिति के गोदामों/ बिक्री केन्द्र तक पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक आपूर्ति के परिवहन व्यय पर राज सहायता मद में संलग्न पुनर्विनियोग हेतु रू0 29.13 लाख (उन्नतीस लाख तेरह हजार रूपये मात्र) की धनराशि निम्नाकिंत शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

(1) संस्था/समितियो द्वारा 10.00 रू0 प्रतिटन परिवहन व्यय वहन किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय। उक्त धनराशि की जनपदवार फांट यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराई जाय।

(3) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस मद में पूर्व में स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रारूप एवं प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र, योजनान्तर्गत पर्वतीय जनपदों में गत वर्ष जनपद वार लक्ष्य के सापेक्ष वितरित उर्वरक की मात्रा, मैदानी जनपदो के सापेक्ष पर्वतीय जनपदो में वितरित उर्वरक की मात्रा, चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के सापेक्ष वितरित उर्वरक एवं लाभान्वित सदस्यों की संख्या तथा प्रति मैट्रिक टन उर्वरक परिवहन दर शासन/ महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही इस धनराशि का आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

(4) सभी कार्यकमों का जनपदवार वार्षिक एवं मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी तत्काल कर लिया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यो की सूचना उपलब्ध करा दी जाय। पर्वतीय जनपदो की समितियो द्वारा कृषकों को उर्वरक आपूर्ति/ उपलब्धता की पुष्टि निबन्धक एवं मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा की जाय।

(5) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल अनुमोदित कार्यो/ मदो पर ही व्यय की जाय।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

(7)उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/ शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करे ।

(8) उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमो का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

2. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–09– उर्वरक परिवहन पर राज सहायता–00–20– सहायक अनुदान / अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या– 572(P)/XXVII /2007 दिनांक 26.3.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्याः– 247 (1)/XIV–1/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढवाल मण्डल उत्तराखण्ड।
3– वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5– समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराचंल राज्य सहकारी संघ लि0 देहरादून ।
8– समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।
9– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(डॉ0पी0एस0गुसांई)
अपर सचिव।

आय व्ययक प्रपत्र–बी.एम.–15 पुनर्विनियोग 2007–08 (पैरा–158)

शासनादेश संख्या 747 /XIV–1/2008 दिनांक 27 मार्च 2008 विभाग– सहकारिता विभाग, अनुदान संख्या–18 आयोजनागत

(धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–4 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2425–सहकारिता–आयोजनागत 00– 800–अन्य 04–एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 00– 20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता 68700	49572	16215	29.13	2425–सहकारिता आयोजनागत 00– 800–अन्य व्यय 09–उर्वरक परिवहन पर राज सहायता 00– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 2913	7863	–	योजना के अन्तर्गत अनुमानित व्यय को दृष्टिगत रखते हुये मांग प्रस्तावित
योग	49572	16215	2913	2913	7863	–	

(डॉ0पी0एस0गुंसाई)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–4
संख्या– 529 (1)/ XXVII/2008
देहरादून दिनांक 26 मार्च, 2008
पुनर्विनियोग स्वीकृत

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव, वित्त

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा)
उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।

संख्याः–247/XIV–1/2008 दिनांक 27 मार्च 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23–लक्ष्मीरोड देहरादून।
7. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
9. वित्त अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।

(डॉ0पी0एस0गुंसाई)
अपर सचिव।